भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2909
10 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

2909. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के लिए बजटीय आवंटन में वर्ष 2024-25 और 2025-26 में किए गए आवंटन की तुलना में कटौती की है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों और जारी की गई निधियों का वर्ष-वार और तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मछली उत्पादन, निर्यात और मछुआरों की आय बढ़ाने के घोषित उद्देश्य के बावजूद आवंटन में कटौती के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने तटीय राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु, जहाँ एक बड़ी आबादी आजीविका के लिए मत्स्यपालन पर निर्भर है, पर ऐसी कटौती के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों, मछुआरा संघों या हितधारकों से पीएमएमएसवाई के तहत निधियों की बहाली या वृद्धि की मांग करने वाले कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मत्स्यपालन क्षेत्र में पारंपरिक मछुआरों, लघु स्तर के मछली पालकों और संबद्ध श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान में मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को अब तक की सर्वाधिक 2500.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता आवंटित की गई है। हालांकि, वर्ष 2025-26 और 2024-25 के लिए बजट आवंटन क्रमशः 2465.00 करोड़ रुपए और 2352.00 करोड़ रुपए है। तमिलनाडु सरकार सहित विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का वर्षवार और राज्यवार विवरण अनुबंध-I पर संलग्न है।

विगत पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक) के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार के 1240.95 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, जिसमें 479.73 करोड़ रुपए का केंद्रीय शेयर शामिल है। स्वीकृत केंद्रीय शेयर में से, 202.05 करोड़ रुपए की राशि तमिलनाडु सरकार को PMMSY के तहत अनुमोदित परियोजना गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई है। राज्य सरकारों को पूर्व में जारी की गई धनराशि के उपयोग के आधार पर केंद्रीय निधि जारी की जाती है और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, PMMSY के अंतर्गत मदर सेंकशन के माध्यम से अप्रैल, 2025 में शुरूआत में तमिलनाडु सरकार को 50.00 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि जारी की गई थी। इसके बाद, राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, फरवरी, 2026 में मदर सेंकशन के माध्यम से तमिलनाडु सरकार को 20.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जारी की गई 70 करोड़ रुपए की केन्द्रीय निधि में से, तमिलनाडु सरकार ने PMMSY के अंतर्गत अनुमोदित मात्स्यिकी और जलकृषि विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अब तक 48.32 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया है।

(च): PMMSY के अंतर्गत, तमिलनाडु सरकार सहित देश में मात्स्यिकी और संबद्ध गतिविधियों के विकास के लिए पारंपरिक मछुआरों तथा लघु स्तर के मत्स्य किसानों के कल्याण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इन गतिविधियों में, उनकी मत्स्यन क्षमता बढ़ाने के लिए नई फिशिंग बोट्स और नेट्स की खरीद, वार्षिक तौर पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि के दौरान उनकी आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए आजीविका और पोषण संबंधी वित्तीय सहायता, मछुआरों की सुरक्षा के लिए दुर्घटना बीमा कवर, तटीय मछुआरों को जलवायु अनुकूल और वैकल्पिक आजीविका के रूप में सी केज फारमिंग, समुद्री शैवाल कृषि, ओर्नामेंटल फिश फ़ार्मिंग, पर्ल फारमिंग आदि के लिए सहायता, पारंपरिक फिशिंग ग्राउंडस में मत्स्य संसाधनों की पुनर्बहाली और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र (कोस्टल इकोसिस्टम) के रेस्टोरेशन के लिए तटीय क्षेत्रों में आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स की तैनाती, मछुआरों की आय में वृद्धि लाने के लिए उन्हें विविध आयामों से जोड़ने हेतु उनकी वर्तमान फिशिंग वेसल्स को आधुनिक डीप-सी फिशिंग वेसल्स में अपग्रेड करने के लिए सहायता शामिल है। इसके अलावा, पारंपरिक मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने और स्थाई (सस्टेनेबल) मत्स्यन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए समुद्री कृषि के माध्यम से वैकल्पिक स्थिर आजीविका जैसे केज कल्चर और समुद्री शैवाल कृषि, आधुनिक मत्स्यन प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों के समावेश में कौशल उन्नयन और ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए भी PMMSY के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

*****

अनुबंध-I

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में 10 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य, लोक सभा डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2909 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(रुपए लाख में)

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत केन्द्रीय शेयर			जारी की गई निधि		
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	405.05	892.55	386.10	0.00	0.00	500.00
2	आंध्र प्रदेश	38,514.40	2,748.00	2,457.00	19258	687	659.68
3	अरुणाचल प्रदेश	5,801.98	2,387.16	2,550.10	3178.47	3566.38	3325.12
4	असम	8,367.32	5,479.23	6,338.40	2654.18	7360.64	1028.2
5	बिहार	809.60	6,294.28	1,713.18	202.4	1573.75	865.59
6	छत्तीसगढ	9,607.89	10,759.49	3,965.27	7919.5	5155.13	4048.37
7	दमन और दीव			12,886.00	0.00	0.00	0.00
8	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	गोवा	568.44	337.44	281.70	1059	1130.94	337.21
10	गुजरात	8,533.26	2,178.72	8,361.84	0.00	0.00	3742.14
11	हरियाणा	4,090.02	16,084.70	1,168.14	3577.76	4000.00	1984.88
12	हिमाचल प्रदेश	1,424.31	1,473.39	1,718.47	1126.96	900.00	1205.68
13	जम्मू-कश्मीर	2,075.00	1,857.90	1,110.34	2020.00	1219.73	2239.83
14	झारखंड	2,900.74	4,256.63	759.38	1450.36	854.10	1036.98
15	कर्नाटक	11,901.04	9,214.68	1,522.15	6608.00	2981.36	3793.06
16	केरल	15,233.48	13,327.98	13,226.17	15316.38	7988.25	2499.66
17	लद्दाख	568.44	337.44	281.70	294.35	216.93	502.74
18	लक्षद्वीप	8,533.26	2,178.72	8,361.84	0.00	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	4,090.02	16,084.70	1,168.14	3339.85	5038.41	5937.93
20	महाराष्ट्र	1,424.31	1,473.39	1,718.47	10252.00	9999.67	2499.99
21	मणिपुर	2,075.00	1,857.90	1,110.34	0.00	1000.00	0.00
22	मेघालय	2,900.74	4,256.63	759.38	659.07	1380.80	999.97
23	मिजोरम	11,901.04	9,214.68	1,522.15	694.94	1967.76	1730.88
24	नागालैंड	15,233.48	13,327.98	13,226.17	1227.80	1665.63	2291.82
25	उड़ीसा	568.44	337.44	281.70	6570.00	3882.00	7929.21
26	पुद्दुचेरी	11,242.79	1,230.75	13,445.35	2841.00	0.00	1390.00
27	पंजाब	1,615.31	468.16	391.99	676.94	1231.49	219.65
28	राजस्थान	489.12	686.34	272.04	0.00	0.00	148.81
29	सिक्किम	1,215.54	1,608.06	201.54	679.11	1084.51	999.80
30	तमिलनाडु	17,528.81	4,377.10	6,991.05	0.00	8748.61	1671.26
31	तेलंगाना	3,759.63	1,979.99	1,075.20	0.00	397.36	939.11
32	त्रिपुरा	2,411.87	4,639.70	4,293.38	1061.19	2144.49	931.75
33	उत्तर प्रदेश	8,032.23	11,894.44	2,398.68	3789.17	3888.62	6554.98
34	उत्तराखंड	6,181.02	3,197.80	1,377.54	6181.02	2553.59	3709.89
35	पश्चिम बंगाल	17,740.68	2,760.32	1,557.74	5075.97	0.00	431.73

*****